न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2024 निर्णय दिनांकः– 18-9-25
(जीसीएमएस संख्या 2024/34)

1. शान्ति पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. बाबुलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडुंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–11–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–11–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति/पिता द्वारा चक 7 के.एल.डी. के डब्ल्यु.एस.एम के मुरब्बा नम्बर 133/63 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 153/7 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट के पति/पिता द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। तथा उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना के प्रार्थी द्वारा उपस्थित आते हुए आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं आने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 7 के.एल.डी. के डब्ल्यु.एस.एम के मुरब्बा नम्बर 133/63 तादादी 25 बीघा मुरब्बा नम्बर 153/7 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु आवेदन किया था। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है इसके उपरान्त भी अपीलांट द्वारा आज तक उपस्थित नही आते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 18–09–1995 द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए समस्त मुल प्रमाण पत्र जमा करवाकर 35

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिशत राशि का चालान प्राप्त कर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 9–11–1999 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूनवाई का अवसर दिये यह कहते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि अपीलांट द्वारा राशि जमा नही करवाई है इसलिए अपीलांट को किये गये आवंटन दिनांक 18–9–1995 को निरस्त किया जाता है। परन्तु प्रार्थी/अपीलांट को जारी उक्त नोटिस की मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही सलंग्न है एवं उक्त मूल नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता उपलब्ध नहीं है। इससे यह तथ्य उभरकर आते है कि अपीलांट को नोटिस की तामील नही हुई है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मुकाम बीकानेर का आदेश दिनांक 24–11–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तथा अपीलांट दो माह के भीतर समस्त बकाया राशि जमा करवा दे ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 18-9-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर